Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 4 | ISSUE : 4 | APRIL 2018

आरा नगर का विकास– अतीत एवं वर्तमान के भौगोलिक परिपेक्ष्य में।

डॉ. शम्भु नाथ सिंह [1]

[1] विभागाध्यक्ष, भूगोल, मोहनिया, कैमूर

ABSTRACT

Keywords:

आरा नगर बिहार राज्य के भोजपुर जिला का सबसे महत्वपूर्ण नगर एवं मुख्यालय केन्द्र है। आरा नगर का अक्षांशीय विस्तार 25^0 31′ 32″ से 25^0 35′ 36″ उतरी अक्षांश तक एवं 84^0 34′ 12″ से 84^0 43′ 08″ पूर्वी देशान्तर तक है। नगर के उतर दिशा में शोभी, डुभरा, चितशेनपुर, दक्षिण दिशा में एकौना और चकिया, पूर्व में पीपरहिया, मूसहुला और दरियापुर तथा पश्चिम दिशा में चन्दवा गॉव है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार यहॉ की कुल जनसंख्या 261430 है। जो कुल 45 वार्ड में वितरित है। नगर का कुल क्षेत्रफल 49 वर्ग किलोमीटर है।

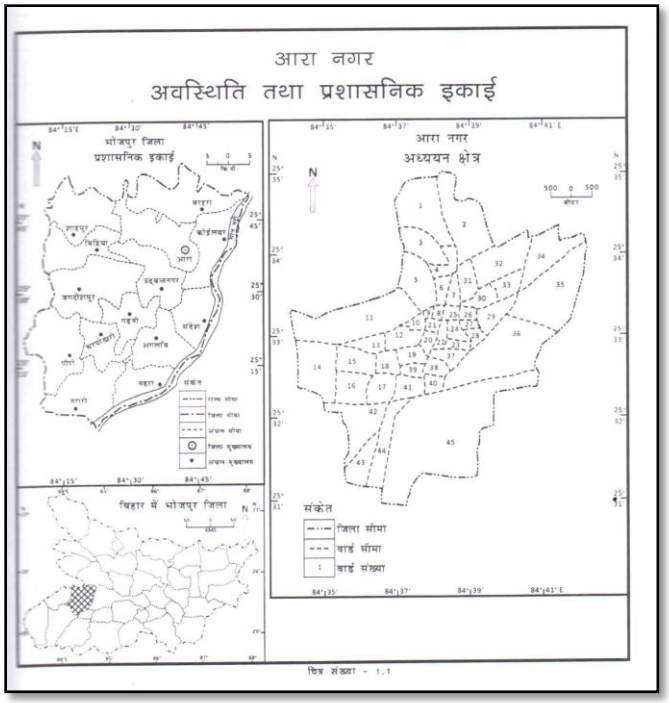

आरा नगर बिहार राज्य का प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जिसका उल्लेख महाभारत में पाण्डवों के अज्ञातवास में मिलता है। आरा नगर के आरण्य देवी भी इसका प्रमाण है। आरा नगर के नामकरण हेतु प्रचलित कथाऍ हैं :– द्वापर युग में आरा नगर में मयूरध्वज राजा राज्य करते थे। वर्तमान आरा में मसाढ़ गॉव है जहॉ पारसनाथ मन्दिर स्थित एक जैन शिलालेख (1386 ई0) पर इस स्थान का नाम 'आरामनगर' लिखा मिलता है।

फ्रांसिसी बुकानन महोदय ने अपने कहानी में आरा नगर का नामकरण में आरण्य, आरा तथा आरामनगर का उल्लेख किया तथा अपने शब्दों में लिखा है।

आरा नगर की धरातल पर बाढ़ का प्रभाव ज्यादा होता था। सोन नदी जो आरा नगर से पूरब दिशा में प्रवाहित होती है हर वर्ष उसमें भीषण बाढ़ आया करती है। बाढ़ से बचने के लिए बॉध का निर्माण किया गया जो आज आरा से लगभग 25 कि0मी0 दूर त्रिकोल गांव से आरा नगर तक था। इस नदी का बाढ़ अनेक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह उल्लेख मिलता है। इस नगर को बाढ़ से बचाने हेतु नगर के चारों तरफ बॉध का निर्माण किया गया था। बांध यानि 'आड़' के बहुलता के कारण ही नगर को आरा नाम से पुकारा जाने लगा। आरा नगर में प्रशासन के कार्यालयों का निर्माण बड़ी सुरक्षा से किया जाता था।

शाहाबाद तथा आरा के नामकरण में पौराणिक तथा सटीक अर्थ किया जा चुका है। बाबर के शाहाबाद को सम्राट की नगरी से संबोधित किया। आरा को 'आराम' का स्थान मुगलकालीन शासक बाबर ने कहा। इस क्षेत्र म आराम करने के लिए इस नगर से सुरक्षित जगह कहीं नहीं था जिस कारण आरा नगर का स्थान पुराने समय से ही कायम होने लगा था।

पुरानी अदालत का स्थान :

विलियम अगस्टस बुक प्रथम जिला मजिस्ट्रेट– विलियम अगस्टस बुक शाहाबाद जिला का जिलाधीश थे उस समय जिलाधीश ही पशासन की सारी इकाईयों का प्रबन्ध किया करते थे। यहॉ तक कि न्यायाधीश न्यायालय के साथ–साथ अन्य कार्य की भी जिम्मेदारी था जो सावधानी पूर्वक निर्वाह करते थे। न्यायालय हेतु चौधरी करामत हुसैन से 42 बीघा जमीन 1788 ई0 में मुहल्ला परसीदमपुर में दखल हुआ था। जमीन हासिल करने के बाद उसी जमीन पर पूर्वी भाग में अदालत न्यायालय की इमारत बन गयी। उस इमारत के पूरब तरफ एक लेखागार की स्थापना भी की गई थी। इसी भूखण्ड के उतर दिशा में वृहद तालाब का निर्माण कराया गया जो जज साहब के तालाब के नाम से आज भी विख्यात है।

वह तालाब आज भी मौजूद है जिसका स्वरुप रमना मैदान के पश्चिम भाग में स्थित है। कभी नगर के चहल–पहल में डूबा तालाब मवकीलों का मनुहार करता था। हरे भरे वृक्षों की छाया में शरण लिए हुए दृश्य को आज भी कुछ बुजुर्ग याद करते हैं।

पुरानी अदालत (1800 ई0) :

पुरानी अदालत पुराने शहर के उतर दिशा में अवस्थित था जो आज वर्तमान मीरगंज मुहल्ला आरण्य देवी स्थान, रामगढ़िया, काजी टोला, बड़ी मस्जिद गोपाल चौक से पूरब और पश्चिम में एक पुराने मकान में सीमित था। वर्तमान मॉडल स्कूल मीरगंज वार्ड में अवस्थित है पहले वही पुरानी अदालत थी। बुकानन महोदय ने भी इस स्थान का भ्रमण करके विस्तृत वर्णन दिया है। चुकि बुकानन महोदय उसी समय आये (1800) नगर की सुरक्षा तथा पुरानी अदालत की नींव दी गई थी।

जज साहब की तालाब :

आज बॉसटाल मुहल्ला तथा बिन्दटोली मुहल्ला से सटा हुआ एक बहुत बड़ा तालाब है। इसी तालाब से सटे पूरब दिशा में जज साहब का निवास था। प्रारम्भिक काल में जिला जज को छोड़कर अन्य न्यायिक पदाधिकारियों क लिए सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं था। आरा शहर में निर्मल कुमार जैन का नाम के अलावे चौधरी करामात हुसैन, अमीरचन्द्र अग्रवाल, महाराजा डुमरॉव तथा अन्य जमीन्दारों का नाम मुख्य रुप से आता था। इन जमीन्दारों के इस शहर में बहुत से मकान बने थे। ज्यादातर कर्मचारी एवं पदाधिकारी इन्हीं के यहॉ किरायेदार के रुप में या निःशुल्क रुप में रहा करते थें।

विलियम कोवेल जज (1802–1814) :

बुकानन ने अपने सर्वेक्षण में शाहाबाद के एक सत्र न्यायाधीश के बारे में वर्णन किया है। विलियम कोवेल 1802–1814 तक शाहाबाद के जिला जज थे।

टेलर 1885 ई0 में वे पटना कमिश्नरी के कमिश्नर बने। 1857 ई0 में प्रथम

स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा और 1947 ई0 में कम्पनी का शासन समाप्त हो गया। भारत सरकार की नींव पड़ी तब से नगर विकास की प्रक्रिया शुरु है।

आधुनिक समय में आरा नगर का ऐतिहासिक विकास का प्रमाण 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी बाबु कुँवर सिंह की कार्य स्थली से 15 कि0मी0 दूर पर था। वे आरा नगर के बाबू बाजार में आराम करते थे। आरा नगर के महाराजा कॉलेज में स्थित आरा हाउस भी इसका प्रमाण आज भी मौजूद है। आरा नगर को 1865 में नगरपालिका बनाया गया था। 1971 में पांचवीं लोकसभा चुनाव तक शाहाबाद संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 1977 के दौरान आरा नगर को स्वतंत्र संसदीय क्षेत्र के रुप में घोषणा हुई। तब से आरा नगर अपने आधुनिक स्वरुप में कायम है। आज आरा नगर का भातिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक नगर के रूप में विकास हो रहा है।

नगर के सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक कहे जा सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि नगर का वर्तमान स्वरुप एक लम्बे इतिहास का परिणाम होता है। आज तक नगरों में अपने सामाजिक व आर्थिक ढ़ाँचे में अनेक परिवर्तन किय हैं। इन परिवर्तनों ने उनकी स्थिति प्रारुप, आकार व विकास की गति को प्रभावित किया है।

आरा नगर के धरातलीय स्वरुप का निर्माण गंगा और सोन नदी के द्वारा हुआ माना जाता है। यह नगर पूर्णतः मैदानी भू–भाग है यहाँ के धरातलीय स्वरुप पर नदी का प्रभाव दृष्टिगोचर होती है। नगर के विकास में आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता, झुग्गी, शहरी विकास, आधारभूत संरचना का निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि नगर का विकास राज्य का विषय है। शहरी विकास कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा निर्धारित होती है तथा राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। नगरीय क्षेत्र में सुविधाओं जैसे बिजली, पेयजल, स्वच्छता और एल0 पी0 जी0. गैस की व्यवस्था राज्य सरकार एवं नगर निगम की जिम्मेदारी है।

हालांकि आजकल सड़क पर ट्रैफिक की भीड़ और जल प्रदूषण नगर निकाय के कचरा का जमाव सहित कानून व्यवस्था कुछ अन्य मुद्दे हैं जो शहरी प्रशासन की चिन्तायें बढ़ाते रहते हैं। शहरी योजना मुख्यतः स्थानीय निकाय जिसमें नगर निकाय, नगरपालिका द्वारा तैयार की जानी चाहिए जिसमें सरकार का सहयोग हो। नगरीय स्थानीय निकायों को काम के अधिकार, वितीय स्रोत और अधिकार को सशक्त करने की जरुरत है। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के तहत विस्तृत शहरी समूह जो कई नगर निकायों में फैले होते हैं और उनका अधिक विस्तार गाँव तक पाया जाता है। नगरों की समस्याओं का समाधान मेयर की अध्यक्षता में निर्वाचित स्थानीय सरकारों द्वारा किया जा चुका है।

आज राज्य सरकारों को शहरों की भूमिका पर गंभीरता से सोचना होगा और स्थानीय निकायों को और सशक्त करते हुए शहरी सुधार लागू करने होंगे और साथ ही प्रशासनिक और वितिय। हमलोग को शहरों की कल्पना इस रुप से करनी होगी कि वह मानव विकास के इंजन बने न कि कुछ लोगों के लिए पूंजी उगाहने का साधन न बनकर रह जाए।

नगर निगम के विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव :

(1) नगरवासियों के लिए जल, सीवरेज, बिजली, पार्क, शिक्षा, चिकित्सा, यातायात की सुविधायें जुटाना मुख्य कार्यक्रम होना चाहिए।

(2) नगर के विकास पर जोर देना चाहिए।

(3) नगर में होने वाले प्रदूषण की गंभीर समस्या से भली प्रकार मुक्त रखना चाहिए।

(4) नगर में अनियोजित विकास पर सरकारी कानून द्वारा वैद्य लगाना चाहिए।

(5) नगर क्षेत्र में पर्याप्त खुला क्षेत्र मैदान के रुप में तथा पार्क, उद्यान के रुप में विकसित किये जाए।

(6) बहुत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करने वाली उद्योगों को नगर आवास से दूर स्थापना किया जाये।

(7) नये–नये निर्मित भवनों का निर्माण कानून सशक्त किया जाना चाहिए।

(8) जल–मल निकास की समुचित व्यवस्था की जाए।

(9) नगर में अधिवास का निर्माण नियम कानून के अनुसार हो यह देखभाल करना चाहिए।

(10) नगर को स्वच्छ एवं सुन्दर वातावरण प्रदान करने की व्यवस्था करना चाहिए।

(11) नागरिकों के लिए उच्च जीवन स्तर तथा जनसुविधायें उपलब्ध करायी जाये।

(12) नगर की व्यवस्था आकर्षक ढ़ंग से की जाए।

(13) नगर नियोजन का ध्यान नगर के सर्वांगीण विकास पर केन्द्रित होना चाहिए।

समुचित विकास के लिए बनी आरा प्लानिंग एरिया ऑथरिटी

आरा नगर के समुचित विकास के लिए बिहार शहरी प्लानिंग और विकास नियमावली के तहत आरा प्लानिंग एरिया ऑथरिटी का गठन किया गया है। अब विकास प्राधिकार द्वारा मास्टर प्लान और आरा प्लानिंग एरिया के लिए अन्य विकास योजनाओं को तैयार किया जायेगा। आरा प्लानिंग एरिया ऑथरिटी में आरा नगर निगम क्षेत्र, आरा सदर प्रखण्ड, उदवन्त नगर प्रखण्ड और कोईलवर नगर पंचायतों के अलावा कई राजस्व गांवों को शामिल किया जायेगा। आरा प्लानिंग एरिया ऑथरिटी का क्षेत्रफल 174.62 वर्ग किमी होगा, इसमें शहरी क्षेत्र 36.195 वर्ग किमी और ग्रामीण क्षेत्र 138.425 वर्ग किमी होगा। प्राधिकार में आरा शहरी क्षेत्र का 30.87 वर्ग किमी और ग्रामीण क्षेत्र का 92.565 वर्ग किमी शामिल होगा। कोईलवर शहरी क्षत्र का 5.32 वर्ग किमी और ग्रामीण क्षेत्र 14.475 वर्ग किमी इलाके को प्राधिकार में शामिल किया गया है वहीं उदवन्त नगर प्रखण्ड के 31.39 वर्ग किमी क्षेत्र को प्राधिकार में शामिल होगा।

आरा सदर प्रखण्ड, कोईलवर और उदवन्त नगर प्रखण्ड के 68 गांवों को आरा प्लानिंग एरिया ऑथरिटी में शामिल किया गया है। इसमें आरा सदर प्रखण्ड के 34 और कोईलवर एवं उदवन्त नगर प्रखण्ड के 17–17 गांव शामिल हैं।

आरा प्लानिंग एरिया ऑथरिटी का गठन आगामी 30 सालों के लिए बनने वाली योजनाओं के कियान्वयन और विकास योजनाओं की तैयारी के लिए किया गया है। आरा नगर निगम और कोईलवर नगर पंचायत के अलावा 68 गांवों के विकास में लाभ मिलेगा।

आरा सदर, कोईलवर और उदवन्त नगर प्रखण्डों के 68 गांवों में औद्योगिक और एजुकेशनल हब बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों को चिन्हित किया जायेगा साथ ही गावों में शहरी सुविधाओं को देने और व्यवस्थित तरीके से बसाने पर विचार किया जायेगा। प्राधिकार के गठन से ग्रामीण इलाके को विशेष लाभ मिलेगा, वहीं शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक और पार्किंग में सुधार होने की संभावना है।

REFERENCES

1. *बंसल सुरेश चन्द्र (2004) नगरीय भूगोल, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ।*
2. *राय बी.पी. (1993) बिहार का भौगोलिक चिन्तन, सुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर*
3. *भारती, राधाकान्त (1976) बिहार का भूगोल, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पटना।*
4. *दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान आरा संस्करण दिनांक 12 दिसम्बर 2017*